

ग्रालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

19th आज यह पत्रावली वकील सायलान के प्राथना पत्र पर तलब की गई। वकील सायलान ने प्राथना पत्र में अंकित किया है कि पक्षकारान के मुख्य गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। सायलान अब प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रकरण को लोक अदालत की भावना से *note press* में खारिज नि परमाया जावे।

अतः मुकरमा नं. 26/2023

उनवानी गिरघारी बनाम उमरेश वर्मा
प्राथना पत्र अस्थायी निवेद्याता को *note press* में खारिज किया जाता है। तथा एक प्रकरण में 07.02.23 को जारी अन्तरिम स्यागन आदेश को विद्रो किया जाता है। पत्रावली कैसल सुमार होकर बाद तहमील नं. से क्रम की जाकर मूल दवे के साथ शामिल मित्राल रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करोली)

प्रकरण राजीनामा हो गये हैं। पत्रावली नहीं चाहता।
Not press

Sanjay
Adv.
29.8.23



गिरघारी

मिकेश (मध्या)